रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2019/आषाढ़ 31, 1941
No. 212] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2019/ASHADHA 31, 1941

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2019

ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 23/54/2017-आर एंड आर.—

1.0 ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I, खंड-1) में प्रकाशित संकल्प सं. 23/54/2017-आर एंड आर के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

2.0 दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 के उक्त दिशानिर्देश में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:-

2.1 **'पैरा 5.2- अनापत्तियों सहित स्थल संबंधी परियोजना के आरंभिक कार्यकलाप'** के तहत बिन्दु सं. 5.2 (क) का पैराः

(क) भूमि अधिग्रहण : बोली जमा कराए जाने के समय 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) भूमि की पहचान और पीपीए के कार्यान्वयन के 7 (सात) महीने के भीतर, डब्ल्यूपीजी अथवा इसके सहबद्ध के नाम से वांछित भूमि के 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) अधिग्रहण/उपयोग का अधिकार स्थापित करने संबंधी दस्तावेज/लीज समझौते को प्रस्तुत करना। यदि भूमि सहबद्ध व्यक्ति के नाम है तो भूमि को निर्धारित कमीशनिंग की तिथि (एससीडी) से पहले डब्ल्यूपीजी के नाम हस्तांरित करना होगा। जहां कहीं भी निजी भूमि को पट्टे पर लेना शामिल है तो पट्टे (लीज) द्वारा डब्ल्यूपीजी के विफल रहने की स्थिति में ऋणदाताओं अथवा खरीदार को भूमि हस्तांरित करने की अनुमति देनी होगी।

इस प्रकार पढ़ा जाए:

(क) भूमि अधिग्रहण : बोली जमा कराए जाने के समय 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) भूमि की पहचान और निर्धारित कमीशनिंग की तिथि (एससीडी) को अथवा उसके पहले डब्ल्यूपीजी के नाम से वांछित भूमि के 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) अधिग्रहण/उपयोग का अधिकार स्थापित करने संबंधी दस्तावेज/लीज समझौते को प्रस्तुत करना। जहां कहीं

भी निजी भूमि को पट्टे पर लेना शामिल है तो पट्टे (लीज) द्वारा डब्ल्यूपीजी के विफल रहने की स्थिति में ऋणदाताओं अथवा खरीदार को भूमि हस्तांरित करने की अनुमति देनी होगी।

2.2 **'पैरा- 7.2 क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ)'** के तहत बिन्दु सं. 7.2.1 और 7.2.2 का पैराः

7.2.1 डब्ल्यूपीजी पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय अपनी परियोजना के वार्षिक सीयूएफ की घोषणा करेंगे और उसे सीओडी के प्रथम वर्ष के भीतर एक बार संशोधित करने की अनुमति होगी। सीयूएफ का परिकलन वार्षिक आधार पर वर्ष के पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होगा। घोषित वार्षिक सीयूएफ किसी भी परिस्थिति में 22 प्रतिशत से कम नहीं होगा। घोषित सीयूएफ मूल्य से पवन विद्युत के उत्पादन में परिवर्तन की दी गई अनुमति का आरएफएस में उल्लेख किया जाएगा। तथापि न्यूनतम सीमा पवन विद्युत के निष्क्रमण के लिए ग्रिड के उपलब्ध न होने की सीमा तक शिथिलनीय होगी जो कि डब्ल्यूपीजी के नियंत्रण के बाहर है। परियोजना के प्रचालन के पहले वर्ष के लिए वार्षिक सीयूएफ का परिकलन परियोजना के सीओडी के बाद संपूर्ण वर्ष के लिए किया जाएगा। बाद में वार्षिक सीयूएफ का परिकलन प्रत्येक वर्ष पहले अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।

7.2.2 यदि परियोजना से न्यूनतम सीयूएफ की तुलना में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो डब्ल्यूपीजी खरीदार को ऊर्जा की उपलब्धता में कमी के लिए अर्थदंड का भुगतान करने का भागी होगा। तथापि यह निष्क्रमण हेतु ग्रिड की अनुपलब्धता की सीमा तक शिथिलनीय है जो कि डब्ल्यूपीजी के नियंत्रण के बाहर की स्थिति है। ऐसे अर्थ दंड की राशि पीपीए की शर्तों के अनुसार होंगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि खरीदार पीपीए प्रशुल्क पर परिकलित ऊर्जा की दृष्टि से कमी की इस लागत के न्यूनतम 75 (पचहत्तर) प्रतिशत के अध्यधीन पीपीए के अंतर्गत कम उत्पादन और विद्युत की आपूर्ति से जुड़ी सभी संभावित लागतों को पूरा कर सके। अर्थदंड का निर्धारण कमी की मात्रा पर किया जा सकता है। उच्चतर कमी में उच्चतर अर्थदंड और इसके विलोमतः आरोपित किए जा सकते हैं।

इस प्रकार पढ़ा जाए:

7.2.1 डब्ल्यूपीजी पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय अपनी परियोजना के वार्षिक सीयूएफ की घोषणा करेंगे और उसे सीओडी के प्रथम तीन वर्ष के भीतर एक बार संशोधित करने की अनुमति होगी। सीयूएफ का परिकलन वार्षिक आधार पर वर्ष के पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होगा। घोषित वार्षिक सीयूएफ किसी भी परिस्थिति में 22 प्रतिशत से कम नहीं होगा। घोषित सीयूएफ मूल्य से पवन विद्युत के उत्पादन में परिवर्तन की दी गई अनुमति का आरएफएस में उल्लेख किया जाएगा। तथापि न्यूनतम सीमा पवन विद्युत के निष्क्रमण के लिए ग्रिड के उपलब्ध न होने की सीमा तक शिथिलनीय होगी जो कि डब्ल्यूपीजी के नियंत्रण के बाहर है। परियोजना के प्रचालन के पहले वर्ष के लिए वार्षिक सीयूएफ का परिकलन परियोजना के सीओडी के बाद संपूर्ण वर्ष के लिए किया जाएगा। बाद में वार्षिक सीयूएफ का परिकलन प्रत्येक वर्ष पहले अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।

7.2.2 यदि परियोजना से न्यूनतम सीयूएफ की तुलना में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो डब्ल्यूपीजी खरीदार को ऊर्जा की उपलब्धता में कमी के लिए अर्थदंड का भुगतान करने का भागी होगा। तथापि यह निष्क्रमण हेतु ग्रिड की अनुपलब्धता की सीमा तक शिथिलनीय है जो कि डब्ल्यूपीजी के नियंत्रण के बाहर की स्थिति है। इस अर्थदंड की राशि की गणना पीपीए की शर्तों के अनुसार ऊर्जा की दृष्टि से कमी के लिए पीपीए प्रशुल्क के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) की दर से की जाएगी। डब्ल्यूपीजी से वसूला गया अर्थदंड मध्यवर्ती खरीदार द्वारा वास्तविक खरीदार को मध्यवर्ती खरीदार के नुकसान की कटौती करके, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित किया जाएगा।

2.3 बिन्दु सं. 16 पर पैराः

16. चालू करना (कमीशनिंग)

16.1 **आंशिक रूप से चालू करनाः** परियोजना की पार्ट कमीशनिंग खरीदार द्वारा इस शर्त पर कि पहले आंशिक रूप से चालू करने की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता परियोजना क्षमता की 50 प्रतिशत या 50 मेगावाट, जो भी कम हो, पीपीए के उस पार्ट पर जो चालू नहीं हुआ, पर जुर्माना लगाए जाने के पूर्वाग्रह के बिना के अनुसार स्वीकार करेगा। हालांकि, अंतर-राज्यीय परियोजना के मामले में, पहले आंशिक रूप से चालू करने की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता कम से कम 50 मेगावाट होगी। 100 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली एक परियोजना को अधिकतम दो भागों में चालू किया जा सकता है। 100 मेगावाट क्षमता से अधिक की परियोजना को कम से कम 50 मेगावाट प्रत्येक के भाग में चालू किया जा सकता है, अंतिम भाग बाकी क्षमता हो सकती है। हालांकि, आंशिक रूप से चालू करने के कारण एससीडी में बदलाव नहीं आएगा। आंशिक रूप से चालू करने की तारीखों के बावजूद, पीपीए एससीडी से 25 वर्षों की अवधि के लिए या परियोजनाओं को पूर्णतः चालू करने की तारीख से, जो भी पहले हो, लागू रहेगा।

16.2 **समय पूर्व चालू होना:** एससीडी से पहले परियोजना को चालू करने के साथ-साथ ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी और लंबी अवधि की एक्सेस (एलटीए) की उपलब्धता के लिए डब्ल्यूपीजी की अनुमति दी जाएगी। समय से पूर्व चालू होने के मामले में, पूर्ण चालू होने की उपलब्धि तक या एससीडी, जो भी पहले हो, खरीदार पीपीए टैरिफ के 75 प्रतिशत (पचहत्तर प्रतिशत) पर उत्पादन की खरीद कर सकता है।

16.3 **चालू होने की समय सारिणी:** परियोजनाएं पीपीए के निष्पादन की तारीख से 18 (अठारह) महीनों के भीतर चालू हो जाएगी। हालांकि, अगर कुछ कारणों से, इन दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि में चालू करने के लिए अधिक समय लगता है तो प्राप्तकर्त्ता अपने स्तर पर ऐसा कर सकता है। चालू करने में देरी होने पर, एससीडी से अधिक जैसा कि पीपीए में बताया गया है कि डब्ल्यूपीजी पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इस प्रकार पढ़ा जाए:

16. चालू करना (कमीशनिंग)

16.1 **आंशिक रूप से चालू करना:** परियोजना की पार्ट कमीशनिंग खरीदार द्वारा इस शर्त पर कि पहले आंशिक रूप से चालू करने की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता परियोजना क्षमता की 50 प्रतिशत या 50 मेगावाट, जो भी कम हो, पीपीए के उस पार्ट पर जो चालू नहीं हुआ, पर जुर्माना लगाए जाने के पूर्वाग्रह के बिना के अनुसार स्वीकार करेगा। हालांकि, अंतर-राज्यीय परियोजना के मामले में, पहले आंशिक रूप से चालू करने की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता कम से कम 50 मेगावाट होगी। 100 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली एक परियोजना को अधिकतम दो भागों में चालू किया जा सकता है। 100 मेगावाट क्षमता से अधिक की परियोजना को कम से कम 50 मेगावाट प्रत्येक के भाग में चालू किया जा सकता है, अंतिम भाग बाकी क्षमता हो सकती है। हालांकि, आंशिक रूप से चालू करने के कारण एससीडी में बदलाव नहीं आएगा। परियोजना के आंशिक भाग को चालू करने के मामले में, चालू की जा रही आंशिक क्षमता के अनुरूप भूमि, उस आंशिक क्षमता के चालू होने की घोषणा से पहले डब्ल्यूपीजी द्वारा प्रदर्शित करनी अपेक्षित होगी। आंशिक रूप से चालू करने की तारीखों के बावजूद, पीपीए एससीडी से 25 वर्षों की अवधि के लिए या परियोजनाओं को पूर्णतः चालू करने की तारीख से, जो भी पहले हो, लागू रहेगा।

16.2 **समय पूर्व चालू होना:** एससीडी से पहले परियोजना को चालू करने के साथ-साथ ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी और लंबी अवधि की एक्सेस (एलटीए) की उपलब्धता के लिए डब्ल्यूपीजी को अनुमति दी जाएगी। समय से पूर्व आंशिक चालू होने के मामले में, खरीदार पीपीए टैरिफ पर उत्पादन की खरीद कर सकता है।

16.3 **चालू होने की समय सारिणी:** परियोजनाएं निर्धारित कमीशनिंग की तिथि (एससीडी) तक चालू की जाएगी, जो पीपीए या पीएसए में जो भी कम हो, के निष्पादन की तारीख से 18 (अठारह) महीनों कीतारीख तक चालू हो जाएगी। हालांकि, अगर कुछ कारणों से, इन दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि में चालू करने के लिए अधिक समय लगता है तो खरीदार अपने स्तर पर ऐसा कर सकता है। चालू करने में एससीडी से अधिक विलंब होने पर, जैसा कि पीपीए में बताया गया है, डब्ल्यूपीजी पर जुर्माना लगाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि परियोजना को चालू करने/आंशिक रूप से चालू करने की घोषणा तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि डब्ल्यूपीजी खरीदार/मध्यवर्ती खरीदार द्वारा तय अन्य शर्तों के अलावा उक्त खंड 5.2 (क) के अनुसार भूमि का कब्जा प्रदर्शित न कर दें। आंशिक रूप से चालू करने के लिए भूमि का वह भाग जिस पर परियोजना का आंशिक भाग चालू किया गया हो, खंड 5.2(क) के अनुसार डब्ल्यूपीजी के पास होना चाहिए।

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 16th July, 2019

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Power Projects

No. 23/54/2017-R&R.—

1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Power Projects have been notified vide resolution No. 23/54/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Sec. 1) on 8th December, 2017.

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 8th December, 2017 namely:-

2.1 The Para at point No. 5.2. (a) under '**5.2. Site-related project preparatory activities including clearances**':

a) Land acquisition: Identification of the 100% (hundred per cent) land at the time of bid submission and within 7 (seven) months of the execution of the PPA, submission of documents/ Lease Agreement to establish possession / right to use 100 % (hundred per cent) of the required land in the name of the WPG or its Affiliate for a period not less than the complete term of PPA. In case the land is in the name of Affiliate, the land should be transferred in the name of WPG prior to Scheduled Commissioning Date (SCD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land to the lenders or Procurer, in case of default of the WPG.

May be read as under:

a) Land acquisition: Identification of the 100% (hundred per cent) land at the time of bid submission and submission of documents / Lease Agreement to establish possession and right to use 100 % (hundred per cent) of the required land in the name of the WPG for a period not less than the complete term of PPA, on or before the Scheduled Commissioning Date (SCD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land to the lenders or Procurer, in case of default of the WPG.

2.2 The Para at point No. 7.2.1.and 7.2.2. under '**7.2. Capacity Utilisation Factor (CUF)**':

7.2.1. The WPG will declare the annual CUF of its Project at the time of signing of PPA and will be allowed to revise the same once within first year of COD. Calculation of CUF will be on yearly basis from 1st April of the year to 31st March of next year. The declared annual CUF shall in no case be less than 22 per cent. The variation permitted in wind power generation from the declared CUF value will be indicated in the RfS. The lower limit will, however, be relaxable to the extent of non-availability of grid for evacuation of wind power, which is beyond the control of the WPG. For the first year of operation of the project, the annual CUF shall be calculated for the complete year after COD of the Project. Subsequently, the annual CUF will be calculated every year from 1st April of the year to 31st March next year.

7.2.2. In case the project supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the WPG will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability of energy. This will, however be relaxable to the extent of grid non-availability for evacuation, which is beyond the control of the WPG. The amount of such penalty will be in accordance with the terms of the PPA, which shall ensure that the Procurer is offset for all potential costs associated with low generation and supply of power under the PPA, subject to a minimum of 75% (seventy-five percent) of the cost of this shortfall in energy terms, calculated at PPA tariff**.** Penalties may be prescribed on the amount of shortfall, higher shortfall may attract higher penalties and vice-versa.

May be read as under:

7.2.1. The WPG will declare the annual CUF of its Project at the time of signing of PPA and will be allowed to revise the same once within first three years of COD. Calculation of CUF will be on yearly basis from 1st April of the year to 31st March of next year. The declared annual CUF shall in no case be less than 22 per cent. The variation permitted in wind power generation from the declared CUF value will be indicated in the RfS. The lower limit will, however, be relaxable to the extent of non-availability of grid for evacuation of wind power, which is beyond the control of the WPG. For the first year of operation of the project, the annual CUF shall be calculated for the complete year after COD of the Project. Subsequently, the annual CUF will be calculated every year from 1st April of the year to 31st March next year.

7.2.2. In case the project supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the WPG will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability of energy. This will, however be relaxable to the extent of grid non-availability for evacuation, which is beyond the control of the WPG. The amount of such penalty will be calculated @ 50% (fifty percent) of the PPA tariff for the shortfall in energy terms, in accordance with the terms of the PPA. Such penalty as recovered from the WPG, shall be passed on by the Intermediary Procurer to the End Procurer, as the case may be, after deducting losses of Intermediary procurer.

2.3 The Para at point No. 16.:

16. **COMMISSIONING**

16.1. **Part Commissioning:**Part commissioning of the Project shall be accepted by Procurer subject to the condition that the minimum capacity for acceptance of first part commissioning shall be 50% of Project Capacity or 50 MW, whichever is lower, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which is not commissioned, However, in case of inter-state project, minimum capacity for acceptance of first part commissioning shall be at least 50 MW. A project of capacity 100 MW or less can be commissioned in maximum two parts. The projects with capacity more than 100 MW can be commissioned in parts of at least 50 MW each, with last part could be the balance capacity. However, the SCD will not get altered due to part-

commissioning. Irrespective of dates of part commissioning, the PPA will remain in force for a period of 25 years from the SCD or from the date of full commissioning of the projects, whichever is earlier.

16.2. **Early Commissioning:** The WPG shall be permitted for full commissioning as well as part commissioning of the Project even prior to the SCD subject to availability of transmission connectivity and Long-Term Access (LTA). In cases of early part commissioning, till the achievement of full commissioning or SCD, whichever is earlier, the Procurer may purchase the generation, at 75% (seventy-five per cent) of the PPA tariff.

16.3. **Commissioning Schedule:** The Projects shall be commissioned within a period of 18 (eighteen) months from the date of execution of the PPA. However, if for some reasons, the scheduled commissioning period needs to be kept higher than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same at his end. Delay in commissioning, beyond the SCD shall involve penalties on the WPG, as detailed out in PPA.

May be read as under:

16. **COMMISSIONING**

16.1. **Part commissioning:**Part commissioning of the Project shall be accepted by Procurer subject to the condition that the minimum capacity for acceptance of first part commissioning shall be 50% of Project Capacity or 50 MW, whichever is lower, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which is not commissioned. However, in case of inter-state project, minimum capacity for acceptance of first part commissioning shall be at least 50 MW. A project of capacity 100 MW or less can be commissioned in maximum two parts. The projects with capacity more than 100 MW can be commissioned in parts of at least 50 MW each, with last part could be the balance capacity. However, the SCD will not get altered due to part-commissioning. In case of part-commissioning of the Project, land corresponding to the part capacity being commissioned, shall be required to be demonstrated by the WPG prior to declaration of commissioning of the said part capacity. Irrespective of dates of part commissioning, the PPA will remain in force for a period of 25 years from the SCD or from the date of full commissioning of the projects, whichever is earlier.

16.2. **Early Commissioning:**The WPG shall be permitted for full commissioning as well as part commissioning of the Project even prior to the SCD subject to availability of transmission connectivity and Long-Term Access (LTA). In cases of early part commissioning, the Procurer may purchase the generation, at the PPA tariff.

16.3. **Commissioning Schedule:**The Projects shall be commissioned by the Scheduled Commissioning Date (SCD), which will the date as on 18 (eighteen) months from the date of execution of the PPA or PSA, whichever is later. However, if for some reasons, the scheduled commissioning period needs to be kept higher than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same at his end. Delay in commissioning, beyond the SCD shall involve penalties on the WPG, as detailed out in PPA.

It may be noted that commissioning/ part commissioning of the Project will not be declared until the WPG demonstrates possession of land in line with Clause 5.2.(a) above, in addition to the other conditions as established by the Procurer/Intermediary Procurer. For part commissioning portion of land on which the part of the project is commissioned should be with WPG in accordance with clause 5.2(a).

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.23 19:27:24 +05'30'